

परिशिष्ट एक

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1670,

दिनांक 1.3.2016

प्रश्नांश "ग"

माध्यमिक विद्यालय सनोतिया एक शिक्षकीय न होकर दो शिक्षकीय शाला थी जिसमें एक गणित तथा एक विज्ञान विषय का शिक्षक पदस्थ था । शासन निर्देशानुसार विज्ञान विषय के शिक्षक को अतिशेष माना जाकर अन्य शाला में पदस्थ किया गया ।

माध्यमिक विद्यालय बेलका एवं मा.वि. डोवा (राघवगढ़) में पदस्थ विज्ञान विषय के अध्यापक को विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अतिशेष चिन्हित किये जाने से क्रमशः हाई स्कूल धमनार (गुना) एवं शिक्षक विहिन शाला माध्यमिक विद्यालय सांकरा (आरौन) में पदस्थ किया गया था । समिति द्वारा अतिशेष चिन्हित शिक्षकों की सूची संलग्न है ।

उक्त दोनो शालाये एक शिक्षकीय होने की जानकारी संज्ञान में आने पर पदांकन आदेश निरस्त कर पूर्व संस्था में पदस्थी के आदेश जारी किये गये ।


शा.उ.मा.वि.गुना से किसी भी शिक्षक को खुटियावद (गुना) में पदस्थ नहीं किया गया है । शासकीय उ.मा.वि. पनवाडीहाट ( आरौन) से एक अध्यापक विज्ञान को जिला स्तरीय समिति द्वारा अतिशेष चिन्हित किया गया, संबंधित अध्यापक द्वारा स्वैच्छिक काउंसलिंग के द्वारा माध्यमिक विद्यालय पिपरिया में पदस्थ किया गया है ।

विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अतिशेष शिक्षकों के उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रा.वि. सकतपुर (राघौगढ़) में एक सहायक अध्यापक अतिशेष थी जिन्होंने स्वैच्छिक काउंसलिंग के द्वारा शा.प्रा.वि. बालाभेंट में रिक्त पद पर पदांकन की सहमति दी थी । तदुपरांत संबंधित को पदस्थ किया गया ।

इसी प्रकार वि०ख० स्तरीय समिति द्वारा प्रा०वि० लक्ष्मणपुरा (राघौगढ़) में एक सहायक अध्यापक अतिशेष चिन्हित किया गया था । संबंधित सहायक अध्यापक ने स्वैच्छिक काउंसलिंग के द्वारा शा.प्रा.वि. चौड़ासखेडी में रिक्त पद पर पदांकन की सहमति दी थी । तदुपरांत संबंधित को पदस्थ किया गया है ।

हाई स्कूल पटोदी (चांचौड़ा) में पदस्थ एक अध्यापक जो संस्था में विवादित तथा जिनकी अत्यधिक शिकायती थी जिन्हें कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अतिशेष प्रक्रिया में समिलित किया जाकर शासकीय हाई स्कूल मगरोड़ा (बमौरी) में विषयमान से 04 पद रिक्त होने से पदस्थ किया गया है ।

उपरोक्तानुसार जिले में अतिशेष की समस्त प्रक्रिया शासन निर्देशानुसार संपन्न की गई है ।

  
उप-संचालक,  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश